न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थनो–पत्र संख्या :–271/2022

GCMS NO:- 2022/431

दायर दिनांकः 02.11.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

शोजीलाल आ0 कल्याण जाति माली नि0 सूंसा प.म. बटावती तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थी

बनाम

बाबूलाल आ0 बद्रीलाल जाति ब्राहमण नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ वगैरह। (कुल 4)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सूंसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1241/838 व 839 पर जाने के लिए ग्राम सूंसा से नहर के सहारे होकर अप्रार्थीगण के खाते के खेत खसरा नम्बर 857/1085, 1139/859, 251/1035, 857/1086 मे होकर 15 फूट चौडा रास्ता चाहा गया था जिसमे इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 23.11.2021 को निर्णय पारित कर खसरा नम्बर 857/1085 मे से रास्ता दिये जाने बाबत् आदेश पारित किया गया जिसकी अपील अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां कर दी गयी जिसमे माननीय न्यायालय आरएए कोटा द्वारा दिनांक 20.09.2022 को निर्णय पारित किया जाकर इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलाण्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सममत गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। माननीय न्यायालय आरएए कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 20.9.2022 की अनुपालना मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

आज दिनांक 27.5.2025 को पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 1241/838 व 839 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ